

राजस्थानसरकार
स्वायत्त शासनविभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/19/1523

जयपुर,दिनांक:10.06.2019

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 6(1) एवं धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा राज्य को विभिन्न नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं में सीटों का निम्न प्रकार से निर्धारण करती है:-

क्र.सं.	जनसंख्या	सीटों की संख्या
1.	15,000 तक	20
2.	15,001 से 25,000 तक	25
3.	25,001 से 40,000 तक	35
4.	40,001 से 60,000 तक	40
5.	60,001 से 80,000 तक	45
6.	80,001 से 1,00,000 तक	55
7.	1,00,001 से 2,00,000 तक	60
8.	2,00,001 से 3,50,000 तक	65
9.	3,50,001 से 5,00,000 तक	70
10.	5,00,001 से 8,00,000 तक	80
11.	8,00,001 से 10,00,000 तक	85
12.	10,00,001 से 15,00,000 तक	100
13.	15,00,000 से ऊपर	150

इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)जन/वार्ड/चुनाव/स्वाशावि/94 /4240-4323 दिनांक 22.08.1994 को अतिक्रमित किया जाता है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 10.06.2019

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/19/1524-2194

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
05. निजी सचिव, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
06. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर, राजस्थान।
07. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
08. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
09. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/ पालिकायें समस्त राजस्थान।
10. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. नगर नियोजक समस्त नगरीय निकाय राजस्थान।
13. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।
14. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी